# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 38 / 2006** **दायर दिनांकः 27.04.2006**

**उनवान**

1. चतुर्भज आयु 42 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. धनराज आयु 32 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शंकरलाल आयु 28 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. भैरूलाल आयु 65 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. बिरधीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र लल्मीनारायण जाति कुम्हार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. रामचन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादीगण**

**बनाम**

1. श्री महाप्रभूजी महोदय पाटनपोल कोटा अध्यक्ष ट्रस्ट श्री महाप्रभू जी कोटा जर्ये विनय गोस्वामी उपाध्यक्ष महोदय ट्रस्ट श्री महाप्रभू जी कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शासन सचिव महोदय देव स्थान विभाग सचिवालय जयपुर राज0।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 188, 183 आर.टी.एक्ट**

**उपस्थिति :—**
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गोतम।

**आदेश** दिनाक :15 / 11 / 2018

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 188, 183 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मौजा भैसड़ा तहसील अटरू जिला बारां में पुराने ख0नं0 741 का रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा ख0नं0 742 का रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा तथा ख0नं0 744 का रकबा 7 बिस्वा आराजी व खाता मांफी महाप्रभू जी महाराज विराजमान पाटन पोल कोटा जिला कोटा के नाम दर्ज खाता उक्त आराजीयात पर वादीगण अपनी तीन पीढियों से बतौर जैली अर्थात उपकृषक (सबटिनेन्ट) दर्ज चला आ रहा है। वाद — पत्र के साथ में पुरानी गिरदायी सवत् 2013 से 2044 पेश है। जो काबिल गौर है। बाद सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 के नवीन ख0नं0 निम्न प्रकार से बनाये है। ख0नं0 266 का रकबा 2.82 है0 तथा ख0नं0 967 का रकबा 2.49 है0 तथा ख0नं0 968 का रकबा 0.29 है0 तथा ख0नं0 1016 का रकबा 0.57 है0 कुल किता 4 का

कुल रकबा 6.62 है0 बनाया गया है। नकल नवीन जमाबन्दी तथा मिलान क्षैत्रफल पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात मांफी महाप्रभू जी महाराज विराजमान बड़ा पाटनपोल कोटा के नाम दर्ज खाता थी जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त आराजी बाबत् ट्रस्ट श्री महाप्रभू जी का बना लिया है। तथा ट्रस्ट बनाकर बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाकर वादीगण को बिना बेदखल किये। गैर कानूनी एवं अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी क्रम 1 उक्त आराजीयात को मुनाफा काश्त पर काश्त करने पर आजादा है। जिसका (ईस्तीहार) सूचना दिनांक 15.04.2006 को जारी की गई जिसका चस्पा तहसील कार्यालय अटरू पर किया गया जिसमें दिनांक 29.04.2006 को संवत् 2063 के लिए मुकाम कोटा श्री महाप्रभूजी पाटनपोल कोटा पर दिनांक 29.04.2006 को 12 से 4 बजे तक मुनाफा काश्त के लिये नीलाम किया जावेगा इश्तीहार दिनांक 15.04.2006 काबिल गौर है। जब कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण अपने पितागण प्रभूलाल, लक्ष्मीनारायण तथा इनके पिता गोपीलाल, माधोलाल और गोपीलाल कि पिता घांसीलाल के जीवन काल से ही अर्थात सौ–सवासौ वर्षो से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। तथा उनका नाम उनके पूर्वजों का नाम भी राजस्व रिकार्ड में सबटिनेन्ट की हैसियत से दर्ज चला आ रहा है। उक्त आराजीयात राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने की तारीख दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही वादीगण व उनके पूर्वजो के कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा वादीगण के पूर्वजो का दर्ज राजस्व रिकार्ड में नाम सेटलमेन्ट द्वारा भी दर्ज करना चाहिये था लेकिन बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया है। अतः वादीगण यह घोषणा करा पाने के अधिकारी है। कि वे वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी के खातेदारी कृषक है। उप कृषक है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जारी इश्तीहार दिनांक 15.04.2006 की पालना में अगर वाद– पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात को वर्ष संवत् 2063के लिये मुनाफा काश्तपर से जुतवा दिया तो और बिना विधिक प्रक्रिष अपनाते हुये वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को उक्त आराजी में प्राप्त कब्जा काश्त अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रतिवादीगण को चाहियेकि वह भूमि के खातेदारी के अधिकारों एवं कब्जा प्राप्त करने के अधिकारों को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं सक्षम न्यायालय से निर्णय पारित करवाकर एवं अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावें। प्रतिवादी को इस तरह का आदेश एवं ईश्तीहार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी द्वारा गैर कानूनी एवं अवैधानिक तरीके से आदेश पारित किया है। जो न्याय एवं विधि के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। इस वजह से वादीगण इस प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी है। कि प्रतिवादी द्धारा जारी किया गया ईस्तीहार दिनांक 15.04.2006 प्रभाव शून्य है। वादीगण वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वैधानिक नीति से काबिल काश्त करते चले आ रहे है। बिना सक्षम न्यायालय की डिक्री पारित हुये बिना उन्हे बेदखल नही किया जा सकता। वादीगण बड़ा महाप्रभू जी की सेवा पूजा के लिये उचित मुनाफा राशी देने के लिये भी तैयार है। अतः वादीगण वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात का खातेदार कृषक घोषित किया जावें उप कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह वाद

पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि से बेदखली हेतु सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कराकर उसकी पालना कराकर बेदखल करें। तब तक प्रतिवादीगण वादीगण को जबरदस्ती बेदखल नही करें। तथा वादीगण को उक्त आराजी शान्ती पूर्वक काश्त करने देवें। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित कर दिया है। लेकिन नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया तो प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को मुनाफा काश्त से जुपवा देगे इस वजह से वादीगण वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र के साथ में वाद में वाद पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 20.04.2006 को प्रतिवादीगण द्वारा जारी ईश्तीहार की जानकारी तहसील हाजा अटरू में आकर ईश्तीहार देखने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 24.04.2006 को हल्का पटवारी द्वारा भी आराजी मुनाफा काश्त की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ राजस्थान सरकार भूमि धारी होने की वजह से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात मौजा माल भैसड़ा तहसील अटरू जिला बारां में होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादीगण संशोधित वाद पत्र पेश कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावें कि :–

(अ) वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीगण को खातेदार कृषक या उपकृषक घोषित फरमाया जावें तथा मुनाफा काश्त जारी ईस्तीहार को प्रभाव शून्य घोषित किया जावें।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा वैधानिक रिति से बेदखली की डिक्री प्राप्त कर उसकी पालना कराकर बेदखल करें वहां तक वादीगण को बेदखल नही करें तथा उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नही करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई, प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा संशोधित जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 रिकार्डेड होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है।

## —:विशेष विवरणः—

1. वाद में अंकित भूमि मंदिर महाप्रभू जी बडा मंदिर पाटन पोल कोटा के नाम दर्ज है। न कि महाप्रभू जी।
2. महाप्रभू जी भगवान न कि व्यक्ति वाद में अंकित भूमि महाप्रभू जी भगवान (मंदिर) के नाम दर्ज है भगवान नाबालिक है जिसकी भूमि पर किसी को अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है।
3. महाप्रभू जी भगवान (मंदिर) पाटन पोल कोटा की कृषि भूमि कोटा एवं बारां जिले में स्थित है। जिससे यह स्पष्ट है महाप्रभू जी भगवान है इनका मंदिर है न कि व्यक्ति
4. भूमि मंदिर महाप्रभूजी भगवान की होने से इस पर अवैध कब्जा नही माना जा सकता मंदिर भगवान के खाते दर्ज भूमि पर अन्य को खातेदारी नही दी जा सकती न ही अवैध कब्जा बनाये रखने का
5. मन्दिर महाप्रभूजी सम्प्रदाय विशेष का होने से इसका ट्रस्ट बनाया गया है जो नियमानुसार रजिस्टर्ड कराया गया है। जो मंदिर महाप्रभू जी कोटा की सम्पत्ति एवं देखभाल व सेवा पूजा की व्यवस्था करता है।
6. भूमि को मुनाफा काश्त पर जुताये बिना मंदिर महाप्रभू जी भगवान की सेवा पूजा में व्यवधान आ जावेगा जिससे सम्प्रदाय के लोगो में अशांति और तनाव हो सकता है। क्योंकि भूमि से प्राप्त आय से ही मंदिर भगवान की सेवा पूजा की जाती है।
7. दावा अवधि मध्य नही होने से खारिज योग्य है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर अनुरोध है कि वादीगणों का वाद पत्र खारिज किया जाकर भूमि को मुनाफा काश्त पर जुताते हुए कमेटी का निर्माण किया जावें अथवा तहसीलदार साहब अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जावें। ताकि मंदिर की भूमि शांतिपूर्ण ढंग से मुनाफा काश्त पर जुताया जा सके।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत $PW_1$ से $PW_3$ के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई साक्ष्यप्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद की। दावे जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाती हैः—

1. **तनकी नं0 1:—** आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीगण पिछली तीन पिढीयों से शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। और राजस्व रिकार्ड में बतौर जैली उप कृषक दर्ज है। इस वजह से वादीगण को वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। उप कृषक घोषित किया जावें।

**(वादीगण)**

2. **तनकी नं0 2:—** आया वादीगण को प्रतिवादीगण न्यायालय द्वारा बेदखली की डिक्री पारित करा कर विधि के प्रावधानों के अनुसार बेदखल कराये।

**(वादीगण)**

3. **तनकी नं0 3:—** आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि मंदिर महा—प्रभूजी भगवान की है। न कि महाप्रभू जी की है।

**(प्रतिवादीगण)**

4. **तनकी नं0 4:–** आया मन्दिर महाप्रभू जी सम्प्रदाय विशेष का होने की वजह से उसका ट्रस्ट बनाया गया है।

**(प्रतिवादीगण)**

5. **तनकी नं0 5:–** आया मुनाफा काश्त के बिना मन्दिर महाप्रभू जी भगवान की सेवा पूजा नही हो सकेगी।

**(प्रतिवादीगण)**

6. दादरसी।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

**तनकी नं0 1:–** आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीगण पिछली तीन पिढीयों से शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। और राजस्व रिकार्ड में बतौर जैली उप कृषक दर्ज है। इस वजह से वादीगण को वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। उप कृषक घोषित किया जावें। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था ग्राम भैसड़ा की ख0नं0 741 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा ख0नं0 742 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा व ख0नं0 744 रकबा 7 बिस्वा आराजी माफी महाप्रभू जी महाराज विराजमान पाटन पोल कोटा के नाम दर्ज है। आराजीयात पर वादीगण अपनी तीन पीडियों से जैली उपकृषक के रूप में दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी माफी महाप्रभू जी महाराज विराजमान पाटनपोल कोटा के नाम दर्ज है। और मूर्ति मन्दिर शास्वत नाबालिग है। इनकी आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदार अधिकार नही दिये जा सकते है। तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 2:–** आया वादीगण को प्रतिवादीगण न्यायालय द्वारा बेदखली की डिक्री पारित करा कर विधि के प्रावधानों के अनुसार बेदखल कराये। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। तथा भूमि माफी महाप्रभू जी महाराज के खाते दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को बेदखली की कार्यवाही करा सकने का अधिकारी है। तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 3:–** आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि मंदिर महा–प्रभूजी भगवान की है। न कि महाप्रभू जी की है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि महाप्रभू जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज है। जिसका ट्रस्ट भी महाप्रभू जी मंदिर पाटनपोल कोटा है। जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है। अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 4:–** आया मन्दिर महाप्रभू जी सम्प्रदाय विशेष का होने की वजह से उसका ट्रस्ट बनाया गया है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था मंदिर महाप्रभू जी का होने से उसका ट्रस्ट बनाया गया जो रिकार्ड से साबित है। अतः तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी नं0 5:–** आया मुनाफा काश्त के बिना मन्दिर महाप्रभू जी भगवान की सेवा पूजा नही हो सकेगी। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था मंदिर प्रभू जी

सम्प्रदाय विशेष का होने से इसका ट्रस्ट बनाया गया है। जिसको रजिस्टर्ड करवाया गया है। भूमि को मुनाफा काश्त पर देकर मंदिर महाप्रभू जी भगवान के सेवा पूजा की जाती है। खातेदार होने से मुनाफा काश्त पर दी जा सकती है। तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

विवादित आराजी माफी मंदिर महाप्रभू जी कोटा के खाते दर्ज है। जिस पर वादीगण को खातेदार घोषित नही किया जा सकता उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

**—:क्रियात्मक आदेशः—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां